प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 24.12.2025

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 370 ग्राम अवैध गाँजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्वदवन सिंह* के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा *श्री सतीश कुमार सिंह* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त जाबिर उर्फ जावेद पुत्र अख्तर उर्फ अतहर रजा सा0 रसूलाबाद लेड़ुआ महुआ थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर को ग्राम कुरियापार बेलहसा बाग के पास से 370 ग्राम अवैध गाँजा के साथ के गिरफ्तार कर आज दिनांक 24.12.2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. जाबिर उर्फ जावेद पुत्र अख्तर उर्फ अतहर रजा सा0 रसूलाबाद लेड़ुआ महुआ थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर।

*पंजीकृत अभियोग–*मु0अ0सं0 503/2025 धारा 8/20 NDPS Act थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी- 370 ग्राम अवैध गाँजा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह, हे0का0 आदित्य यादव, हे0का0 अरविन्द चौहान, का0 प्रवेश यादव।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए धोखाधड़ी के मामले में वांछित 25000 रु0 के इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त के पास से 01 अदद देशी .315 बोर तंमचा, 01 अदद कारतूस .315 बोर किया गया बरामद

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्र*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना महुली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 292/2022 धारा 419/420/467/468/471/120 बी भादवि से सम्बन्धित 25000/-रु0 के ईनामियां वांछित अभियुक्त राशिद पुत्र मकसुद साकिन छितही थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को सिकटहा पुल के पास से 01 अदद देशी .315 बोर तंमचा, 01 अदद कारतूस .315 बोर के साथ नियमानुसार आज दिनाँक 24.12.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- विदित हो कि दिनाँक 23.08.2022 को वादी मुकदमा श्री अब्दुर्र रउफ पुत्र मकतूब अली निवासी करमा पोस्ट उमरिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के थाना महुली पर वादी जो कि पीड़ित सहाब अहमद पुत्र इकबाल अहमद निवासी छितही थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के रिश्ते में मौसिया लगते है द्वारा तहरीर दिया गया कि पीड़ित की छितही में स्थित पुश्तैनी जमीन को फर्जी आधार कार्ड व कूट रचित तरीके से धोखाधड़ी करते हुए बैनामा कर दिया गया जिसके उपरान्त थाना महुली पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग उपरोक्त में था वांछित अभियुक्त राशिद पुत्र मकसुद साकिन छितही थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध विवेचना प्रचलित थी तथा इसके उपर 25,000रु0 का ईनाम घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. राशिद पुत्र मकसुद साकिन छितही थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

***बरामदगी का विवरण* -**

01. 01 अदद देशी .315 बोर तंमचा, 01 अदद कारतूस .315 बोर।

***पंजीकृत अभियोग* -**

01. बरामद अवैध तमंचा व कारतूस के सम्बन्ध में थाना महुली पर मु0अ0स0 492/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 श्री प्रमेश कुमार मिश्रा, उ0नि0 श्री नागेन्द्र सिंह, हे0का0 सम्स तबरेज ,का0 अरविन्द यादव ,का0 अभिषेक सिंह।

पीआरवी आफ द डे

***पीआरवी 6893 द्वारा दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल*-** पीआरवी 6893 को थाना को0 खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत बनियाबारी से कालर द्वारा दो मोटरसाइकिलों के आपस में टक्कर होने से दुर्घटना में दोनों बाइक चालकों (1.रोहित पुत्र विजय सा0 मड़या थाना को0 खलीलाबाद 2.नितेश पुत्र अज्ञात सा0 मिश्रौलिया थाना को0 खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर) के घायल हो जाने के सम्बन्ध में सूचना दिया,सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियो द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर उक्त घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।
पीआरवी स्टाफ- उ0नि0 श्री मेवालाल, का0 लल्लन पासवान, हो0चा0 रविन्द्र यादव ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 98 वाहनों से 98,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 24.12.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 98 वाहनों से 98,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना धनघटा पुलिस द्वारा अवैध शराब निष्कर्षण, परिवहन व बिक्री के विरुद्ध चलाया गया अभियान
अभियान के तहत थानाक्षेत्र के हैंसर बाजार, तुरकौलिया, डाडेगाँव व माझा क्षेत्र में दी गयी दबिश
दबिश के दौरान 10 कुन्तल लहन,15 भट्टियां तथा शराब बनाने के उपकरणों को किया गया नष्ट
28 अदद ट्रेटा बन्टी बबली देशी शराब,05 अदद वियर का कैन, 07 अदद विदेशी शराब बरामद करते हुए 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्र*** के पर्यवेक्षण में जिला आबकारी अधिकारी जनपद संतकबीरनगर, सहायक आबकारी आयुक्त प्रर्वतन बस्ती प्रभार बस्ती श्री के0पी0 चौधरी, सहायक आबकारी आयुक्त प्रर्वतन बस्ती प्रभार बस्ती श्री अवधेश राम, आबकारी निरीक्षक धनघटा श्री राजकिशोर, आबकारी निरीक्षक खलीलाबाद श्री विजय आनन्द, आबकारी निरीक्षक श्री बसंत प्रसाद व प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री जयप्रकाश दूबे के संयुक्त नेतृत्व में गठित टीम द्वारा अपराध एवं आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत हैंसर बाजार, तुरकौलिया माझा क्षेत्र, डाडेगांव आदि ग्रामो में अवैध शराब निष्कर्षण व विक्री के रोकथाम के दृष्टिगत दबिश दिया गया । दबिश के दौरान लगभग 10 कुन्तल लहन,15 भट्टीया तथा शराब बनाने के उपकरणों को नष्ट किया गया । दबिश के क्रम में हैंसर बाजार से अभियुकत नाम पता गुड्डू पुत्र सुखई निवासी सोनाड़ी थाना धनघटा जनपद सतंकबीरनगर के पास से 28 अदद ट्रेटा बन्टी बबली देशी शराब, 05 अदद वियर का कैन, 07 अदद विदेशी शराब बरामद करते हुए गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. गुड्डू पुत्र सुखई निवासी सोनाड़ी थाना धनघटा जनपद सतंकबीर नगर उम्र 27 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

1. 28 अदद ट्रेटा बन्टी बबली देशी शराब, 05 अदद वियर का कैन, 07 अदद विदेशी शराब ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 662/2025 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर ।

***गिरफ्तारी करने वाली टीम का नाम*-**

1.आबकारी निरीक्षक श्री राजकिशोर, प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश दूबे,जिला आबकारी अधिकारी जनपद संतकबीरनगर, सहायक आबकारी आयुक्त प्रर्वतन बस्ती प्रभार बस्ती श्री के0पी0 चौधरी, सहायक आबकारी आयुक्त प्रर्वतन बस्ती प्रभार बस्ती श्री अवधेश राम, आबकारी निरीक्षक धनघटा श्री राजकिशोर, आबकारी निरीक्षक खलीलाबाद श्री विजय आनन्द, आबकारी निरीक्षक श्री बसंत प्रसाद, चौकी प्रभारी बिड़हरघाट उ0नि0 श्री लालबिहारी निषाद, चौकी प्रभारी जगदीशपुर उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव व अन्य ।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में डायल 112 का संदेश, हर वर्ग तक सुरक्षा का भरोसा

डायल 112 टीम द्वारा राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, धनघटा तहसील और नाथनगर चौराहा पर चलाया गया व्यापक जागरूकता कार्यक्रम

पुलिस महानिदेशक यूपी-112 श्रीमती नीरा रावत के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक ***श्री सुशील कुमार सिंह*** व क्षेत्राधिकारी डायल 112 ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री अमित कुमार शुक्ला मुख्यालय 112 लउनऊ, प्रभारी निरीक्षक डायल 112 श्री राहुल सिंह यादव व टीम द्वारा राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, खलीलाबाद, धनघटा तहसील परिसर, नाथनगर चौराहा पर नुक्कड़ नाटक व एलईडी वैन पर प्रदर्शित जागरूकता संदेशों और प्रत्यक्ष संवाद द्वारा लोगों को डायल 112 सेवा से जोड़ने का काम किया गया।

सुरक्षा को लेकर जागरूकता तभी असरदार होती है, जब जानकारी सीधे लोगों तक पहुंचे और भरोसा मजबूत हो। इसी उद्देश्य के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की आपात सेवा यूपी-112 ने द्वारा जनपद में व्यापक जन-जागरूकता अभियान संचालित किया। "जन-जागरूकता की बात, जन-जन के साथ" थीम पर आयोजित इस अभियान के माध्यम से आम नागरिकों को आपात परिस्थितियों में त्वरित पुलिस सहायता, महिला सुरक्षा और बुजुर्गों के लिए उपलब्ध विशेष सेवाओं की जानकारी दी गई। यह 02 दिवसीय अभियान प्रदेशभर में चलाया जा रहा है।

थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, खलीलाबाद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यूपी-112 की टीम ने नुक्कड़ नाटक और संवादात्मक सत्र के जरिए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया। छात्राओं और विद्यालय स्टाफ को उदाहरणों के माध्यम से बताया कि किसी भी आपात स्थिति में 112 पर कॉल करने से पुलिस सहायता किस तरह मौके तक पहुंचती है। एलईडी वैन पर प्रदर्शित जागरूकता संदेशों ने कॉल रिस्पॉन्स सिस्टम और महिला सुरक्षा से जुड़ी सेवाओं को सरल भाषा में समझाया गया।

जागरुकता के क्रम में धनघटा तहसील परिसर में यूपी-112 की टीम द्वारा तहसील में कार्यरत कर्मचारियों, आगंतुक नागरिकों, महिलाओं और बुजुर्गों से सीधे संवाद किया। एलईडी वैन और संवादात्मक प्रस्तुति के माध्यम से कॉल रिस्पॉन्स प्रक्रिया, महिला सुरक्षा के लिए नाइट एस्कॉर्ट सेवा और सुरक्षित सहायता प्राप्त करने की विधि को सरल भाषा में समझाया गया।

थाना महुली क्षेत्रान्तर्गत नाथनगर चौराहा पर यूपी-112 की टीम द्वारा राहगीरों, दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों को रोककर आपात सेवाओं की जानकारी दी। इस दौरान बुजुर्गों के लिए संचालित सवेरा योजना पर विशेष फोकस रहा। टीम द्वारा मौके पर ही योजना की उपयोगिता, पंजीकरण प्रक्रिया और मिलने वाली सुरक्षा सहायता को स्पष्ट किया। एलईडी वैन पर प्रदर्शित जागरूकता संदेशों और प्रत्यक्ष संवाद ने लोगों को सेवा से जोड़ने का काम किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया गया एण्टी रोमियो अभियान

- ***जनपद के समस्त थानों द्वारा 77 स्थानों पर 1768 व्यक्तियों को किया गया चेक ।***
- ***94 शोहदों से माफीनामा भरवाकर हिदायत देते हुए छोड़ा गया ।***
- ***42 शोहदों के विरुद्ध की गयी धारा 126/135/170 BNSS की कार्यवाही ।***
- ***1038 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया ।***

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला / बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही उनके समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में जागरुक किया गया, साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है । इस दौरान 01. थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 12 स्थानों पर 250 व्यक्तियों को चेक किया गया, 200 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा, 07 शोहदो के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 10 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 02. थाना दुधारा पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थानों पर 290 व्यक्तियों को चेक किया गया, 150 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 01 शोहदे के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 10 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 03. महिला थाना पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा 05 स्थानों पर 160 व्यक्तियों को चेक किया गया, 100 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 08 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 04. थाना धनघटा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 21 स्थानों पर 168 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 93 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 06 शोहदो के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 15 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 05. थाना महुली पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 21 स्थानों पर 280 व्यक्तियों को चेक किया गया, 20 शोहदो के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 235 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 25 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 06 .थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थानों पर 175 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 65 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 06 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 07. थाना बखिरा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थानों पर 215 व्यक्तियों को चेक किया गया, 40 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 06 शोहदो के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 08 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 08. थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 03 स्थानों पर 120 व्यक्तियों को चेक किया गया, 80 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 02 शोहदो के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 06 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 09. थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 03 स्थानों पर 110 व्यक्तियों को चेक किया गया, 75 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 06 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा स्टंटबाजी व काली फिल्म वाले चारपहिया वाहनों के विरुद्ध चलाया गया अभियान

- ☐ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा 66 स्थानों पर 2487 वाहनों को किया गया चेक।
- ☐ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 150 स्टंटबाजी करने एवं यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले दो पहिया वाहनों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।
- ☐ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 05 चार पहिया वाहनों से उतरवायी गयी काली फिल्म।
- ☐ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 01 चारपहिया वाहन से उतरवाया गया हूटर।
- ☐ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 03 चार पहिया वाहनों पर गलत तरीके से लगे नंबर प्लेट पर की गयी कार्यवाही।
- ☐ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 09 चार पहिया वाहनों पर शासकीय तथा जाति सूचक शब्द लगे होने पर की गयी कार्यवाही।
- ☐ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 976 वाहन स्वामियों को दी गयी चेतावनी।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने व महिलाओं की सुरक्षा तथा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन क्षेत्राधिकारी यातायात *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के पर्यवेक्षण में आज दिनाँक 24.12.2025 को जनपद के समस्त थाना व प्रभारी यातायात द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करना था, बल्कि आमजन में यातायात नियमों एवं महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करना है। जनपदीय पुलिस द्वारा यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा ताकि नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े तथा महिलाएं सुरक्षित वातावरण में स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकें। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराना एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।